रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 429] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(शेयर बाजार प्रभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का. आ. 692(अ).—केन्द्रीय सरकार, हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त एक्सचेंज कहा गया है) के द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 वां) की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करने और इस बात से सन्तुष्ट

होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 वां) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इस एक्सचेंज को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार जो बाद में निर्धारित की जाएंगी अथवा लागू की जाएंगी, मान्यता प्रदान करती है ।

[सं. एफ. 1/36/एस.ई./83]
नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 692(E).—The Central Government, having considered the application for recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), by the Hyderabad Stock Exchange Limited, Hyderabad (hereinafter referred to as the said Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act, on a permanent basis, in respect of contracts in securities, subject to such conditions as may be prescribed or imposed hereafter.

[No. F. 1|36|SE|83]
N. K. SENGUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983